



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय: बलदेव निवास
कम्पाउण्ड, आचार्य नरेंद्र देव रोड,
रीड़गंज, अयोध्या-224001

सार्वजनिक बिक्री/
नीलामी सूचना
(चल सम्पत्तियों हेतु)

नीलामी/बिक्री सूचना

सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित दृष्टि बंधित वाहन जिनको नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है। दिनांक **25.02.2026** को "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी किया जायेगा। निम्नलिखित उधारकर्ता को नोटिस दी जाती है की वो नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया, ब्याज व अन्य खर्चें सहित अदा कर दे। इसमें असफल होने पर उस वाहन की नीलामी कर दी जाएगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज एवं लागत सहित यह राशि वसूल ली जाएगी।

क्र.स.	ऋणी का नाम एवं पता	शाखा	वाहन का विवरण	बकाया धनराशि (₹0)	आरक्षित मूल्य (₹0)
					धरोहर राशि (₹0)
1.	श्री नन्हकन यादव, निवासी चटिया दर्शन नगर, तिहुड़ा उपरहार, अयोध्या उ.प्र. 224135	फैजाबाद मुख्य शाखा	Model: Maruti Suzuki India Ltd. & Dzire VXI Engine No. K12NN9211311 Chassis No. MA3CZFB3SPK835648 Registration No. UP32 NY 2578 मालिक: श्री नन्हकन यादव	₹. 6,19,840 / - + ब्याज एवं खर्चें व अन्य शुल्क	4,94,927.00 49,493.00

निविदा दिनांक 25.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे, नीलामी का स्थान- उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- बलदेव निवास कम्पाउण्ड, आचार्य नरेंद्र देव रोड, रीड़गंज, अयोध्या-224001

नीलामी की शर्तें:- (1) यह नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी करना अधिकतम जानकारी व विश्वास तक नीलामी की जा रही है चल-संपत्तियां भार मुक्त है। फिर भी इच्छुक आवेदनकर्ता को चाहिए की नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार टाइल क्लेम आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी संपत्तियों सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारों के प्रति उत्तरदाई नहीं होगा। (3) बोली जमा करने से पहले वाहन/वाहन और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने के लिए बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी, व नीलामी की तारीख से पहले वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। (4) बोलीदाताओं को "अधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" के पक्ष में डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में जमा राशि बोली के साथ अग्रिम रूप से क्षेत्रीय कार्यालय-अयोध्या में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। उच्चतम बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोलीदाता माना जाएगा, असफल बोलीदाता की शेष ईएमडी एक सप्ताह के भीतर बिना ब्याज के वापस भेज दी जाएगी। ऑफर शाम 4 बजे तक **24.02.2026** तक स्वीकार किए जाएंगे और बोली नीलामी की तिथि अर्थात् **25.02.2026** को दोपहर 1 बजे खोली जाएगी। (5) सफल बोलीदाताओं की बकाया राशि आंशिक बिक्री प्रतिफल के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर किसी भी स्थिति में कोई ब्याज नहीं लगेगा। (6) सफल बोलीदाता को अगले दिन डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में बोली राशि का 15% (ईएमडी को छोड़कर) जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सख्ती से करना होगा, यदि वह विफल रहता है ऐसा करने पर उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (8) सफल बोलीदाता वाहन के लिए एय शुल्क/शुल्क जैसे स्टांप शुल्क पंजीकरण शुल्क आदि कानून के अनुसार लागू होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी सरकार को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, वाहन कर और/या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या नीलामी के तहत वाहन के संबंध में कोई भी क्रेता ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (10) किसी भी समय बोली रद्द करने और बिक्री से प्राप्त राशि की वापसी के मामले में बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर बैंक कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा। (11) यदि कोई ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूरा बकाया चुकाते हैं तो नीलामी स्थगित कर दी जायेगी। इस प्रकार उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) के पास नीलामी से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को जारी करने का मौका है बशर्त कि वह बैंक को देय पूरी राशि और शुल्क का भुगतान कर दें। (12) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट, अर्थात् <https://upgb.bank.in/sdshboard.php> लिंक को देखें।

बिक्री के लिए 30 दिन का नोटिस

एतद्वारा ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी से पहले बैंक को उपरोक्त सभी देय राशियों को चुकाने के लिए नोटिस दिया जाता है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो गिरवी रखी गई/दृष्टिबंधक संपत्ति को उल्लिखित तिथि को बेच दिया जाएगा और यदि कोई बकाया राशि बची है तो उसे देय ब्याज, शुल्क और व्यय के साथ वसूल किया जाएगा।